न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।

उपस्थितः– कमल दीप, उ0प्र0 न्यायिक सेवा।

J O No-UP-1794

CNR No: UPSL04006797/2021

दण्ड वाद संख्या–5252/2021

कम्प्यूटर संख्या–4222/2021

मुकदमा अपराध संख्या–299/1997

सरकार बनाम हरिओम यादव।

धारा–5 विस्फोटक अधिनियम।

थाना–चन्दौसी, जिला सम्भल।

28.10.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अभियुक्त हरिओम यादव अनुपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामलें में पत्रावली पर अभियुक्त **हरिओम यादव** के विरूद्ध प्रेषित गिरफतारी वारन्ट की आदेशिका पर आख्या इस आशय की प्राप्त हुई है कि अभियुक्त हरिओम यादव की लगभग तीन बर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है इस संबंध में ग्राम प्रधान की तहरीर संलग्न है। चूँकि प्रस्तुत मामलें में अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी दशा में प्रस्तुत मामलें में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही संचालित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अभियुक्त **हरिओम यादव** के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफतर हों।

(कमल दीप),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।